

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्मला

बनाम

नारायण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 147/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/04/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री/ श्रीमती <u>निर्मला</u> <u>पुत्री</u> श्री <u>मदन जी जरिया</u> निवासी- <u>ठिकरिया</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>ठीकरीया (प.ए. झरनिपाप)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1246/1168</u> <u>286</u> <u>0.8600</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>1.0500</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>ठीकरीया (प.ए. झरनिपाप)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1246/1168</u> <u>286</u> <u>0.19</u> <u>0.86</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>1.0500</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000.00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>